न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास श्रीमती शकुंतला, आर0ए0एस0

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
शिवाराम पुत्र चुन्नीलालजी जाति मेघवाल निवासी हरजी तह0 आहोर जिला जालोर विद्वान अधिवक्ता श्री अभिमन्युसिंह राजपुरोहित		1.सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत मणादर तह0 शिवगंज 2.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां–01 / 2022

– : निर्णय : –

दिनांक 11.06.2024

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2421 दिनांक 20.05.2004 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम का विरूद्ध रेस्पोडेंट के इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया। विवादित आराजी मौजा मणादर–2 पटवार हल्का मणादर के खसरा नम्बर 1795 रकबा क्रमशः 20–00 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्ट ने जरीये बेचान दिनांक 25.01.2002 को ग्राम मणादर पटवार हल्का मणादर द्वितीय भू0अभिलेख निरीक्षण मांडाणी तहसील शिवगंज के खसरा सं. 1795 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी 3 की आराजी क्रय की एवं विक्रेता द्वारा क्रेता को आराजी के हस्तांतरण करने के उपरान्त रेस्पोडेन्टगण के समक्ष सम्बधित भू0 अधिकार अभिलेख जमाबन्दी खतोनी में नामान्तकरण दायर करने के बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जिस पर पटवारी हल्का मणादर द्वितीय ने दिनांक 25.01.2002 को सम्बधित बेचान रजिस्ट्री के आधार पर खरीदी गई भूमि पर क्रेता को कब्जा हस्तातरण होने से नामान्तकरण दायर कर वास्ते जांच एवं टिप्पणी हेतु भू अभिलेख निरीक्षण मान्डाणी की सेवा में पेश किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षण मांडाणी बेचान दस्तावेज एवं खतौनी से तुलनाकर इन्द्राज दिनांक 17.04.2004 को सही पाया गया उक्त नामान्तकरण की अन्तिम स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत मणादर में पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत मणादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही ने दिनांक 20.05.2004 को उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण को इस टिप्पणी के साथ खारीज किया गया कि नामान्तकरण में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत की गौचर भूमि हैं इस कारण बेचान रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा बिल्कुल गलत मिथ्या आधार पर खारीज किया गया जिससे अपीलान्ट की अपील म्यूटेशन सं. 2421 खारीज करने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण में नामन्तकरण का आधार विक्रय विलेख हैं जो विक्रय विलेख सम्पति हस्तातरण अधिनियम की धारा 54 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 / ख / के अनुरूप हैं तथा उक्त प्रकरण में नामान्तकरण करने पर भूमि का हस्तांतरण केता को हो चुका हैं कब्जा भी प्राप्त हो चुका हैं इसके बावजूद भी सरपंच ग्राम पंचायत मणादर द्वारा अपीलान्ट को नुकशान एवं ग्राम पंचायत में अपने अधिकारो के विपरित कार्य किया गया तथा रेकार्ड को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया जो काबिल खारिज के हैं तथा इसी खसरा नं. 1795 मौजा मणादर के तीन बैचान नामांतरकरण समान भूमि समान किस्म के स्वीकार किये गये है। व अन्य खसरा सं. 1792, 1796, 1790 मौजा मणादर के तीन अन्य नामान्तकरण समान भूमि समान किस्म के भी स्वीकार किए हैं ग्राम पंचायत मणादर के सरपंच द्वारा द्वेषभाव द्वारा भेदभाव रखते हुए कार्यवाही की है जिससे अपीलाधिन आदेश काबिल निरस्त के हैं। ग्राम पंचायत को नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 एवं परिपत्र सितम्बर 1982 के द्वारा भू के हस्तांतरण के निर्विवाद मामले में उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट का नामान्तकरण का प्रकरण निर्विवाद होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने भू अधिकार अभिलेख में मिथ्या अंकन बाबत भूमि का वर्गीकरण कर प्रश्नगत नामान्तकरण खारिज के है जो आदेश काबिल निरस्त के हैं।

लगातार पेज– 2

अपील सं0
शिवाराम बनाम सरप
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व 5 म्याद

अपीलाण्ट ने खातेदारी भूमि दिनांक 25.01.2002 को जरिये रजिस्टर्ड खरीद करने पर नाम से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही की गई थी। तथा अपीलांट ने भूमि का कब्जा करने के बाद काश्तकारी की गई तथा वक्त खरीद से अपीलांट काश्त करता आ रहा था। अपीलांट अनपढ होने से अभी जमाबंदी की नकल लेने से जानकारी हुई कि पूर्व खातेदारों के ना ही खातेदारी हो गई है। अतः अपील की जानकारी की तिथि से अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पो संख्या एक ता दो के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। रेस्पोडेंट संख्या 1 को समुचित अवसर जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से रेस्पोंडेंट सं0 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते उनका जवाब दिनांक 11.06.2024 को बंद किया गया। रेस्पो0 सं0 2 ने दिनांक 11.06.2024 जवाब पेश किया व इसी दिन अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) (2) के तहत ग्राम पंचायत को केव अविवादित नामान्तरकरण को निर्णित करने का ही क्षैत्राधिकार है तथा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा पटवारी द्वारा पेश नामान्तकरण को सम्बधित रेकर्ड की जांच पडताल एंव आधार के बिना सम्बधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना संरपच ग्रम पचायत को खारीज किये जाने का अधिकार नही है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन, संलग्न दस्तावेज एवं बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्क पर पहुंचे कि अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ था जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रहा कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के विकय विलेख पश्चात उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे हिस्से अनुसार दर्ज हुआ होगा परन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार पटवारी हल्का से इसकी जानकारी ली तब पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी अभी होने से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। नामान्तकरण संख्या 2421 दिनाक 20.05.2004 में अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1795 मी. कुल रकबा 159–00 बीघा में से 20–00 बीघा भूमि खरीद की है जिसकी किस्म ब–3 है जबकि संरपच ग्राम पचायत मनादर ने नामान्तकरण मे दर्ज वर्णित भूमि को ग्राम पंचायत मनादर की गौचर भूमि होने से बेचान शून्य बताकर नामान्तकरण को खारिज किया है जबकि राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि किस्म ब–3 है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पचायत मनादर को रेकर्ड की पूर्ण जानकारी होते हुए भी नियमों व पंचायतीराज अधिकारों के विरुद्ध (बिना जॉच पडताल व सुनवाई का अवसर दिये) दिनाक 20.05.2004 को जान बुझकर नामान्तकरण 2421 में उक्त टिप्पणी कर खारिज किया है जो न्यायिक एंव विधि सम्मत नहीं होने से नामान्तकरण संख्या 2421 में सरपंच ग्राम पचायत मनादर द्वारा पारित आदेश दिनाक 20.5.2004 को खारिज किया जाता है तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि गुणावगुण के आधार पर विक्रय विलेख की जांच कर उसके अनुसार एक माह के भीतर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही का निस्तारण आवश्यक रूप से करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

(शकुंतला)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

कमांक / कोर्ट / 2024 / 365
दिनांक 11.06.2024
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)